



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-47 / 2015 (पार्ट)- 703 दिनांक : 19.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु० 53.710 लाख (तिरपन लाख एकहत्तर हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०बजट-66 / 2015-54 / व०प० दिनांक 15.01.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट-66 / 2015-06 / आ० व०प० दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 53.710 लाख (तिरपन लाख एकहत्तर हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101580103	47.956
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101580323	5.754
कुल :-		53.710

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 (क) एवं (ख) पर द्रष्टव्य है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 545 दिनांक 14.04.2016 द्वारा 221.61 रु० प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रु० प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 रु० प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 रु० प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

मंडू

4. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19P240601101580103 तथा पी0 19P240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना कासफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ तत्तद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

५६

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निर्सिपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निर्सिपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय 'स्थल विशेष प्राक्कलन' योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
Mamta
19/1/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(४५)

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निर्सिपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय ‘स्थल विशेष प्राक्कलन’ योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योवजट—47 / 2015 (पार्ट)— 703 दिनांक— 19.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

Chankham 19/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय ‘स्थल विशेष प्राक्कलन’ योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह० /—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०वजट—४७ / २०१५ (पार्ट)— ७०३ दिनांक— १९.०५.२०१६

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

ह० /—


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(७३)

ज्ञापांक— ०१ / यो०बजट—४७ / २०१५ (पार्ट)— ७०३ दिनांक— १९.०५.२०१६

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / चतरा / हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

८२

अनुलग्नक-१ (क)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठों)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	iii	iv	v	vi	vii
1	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	30	9.968	1.226	11.194
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	30	9.968	1.226	11.194
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	50	16.613	2.044	18.657
योग :-		110.00	36.549	4.496	41.045

अनुलग्नक-१ (ख)


वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठों)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	iii	iv	v	vi	vii
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50.00	11.407	1.258	12.665
सकल योग :-		50.00	11.407	1.258	12.665
कुल सकल योग :-		160.00	47.956	5.754	53.710

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0व0-66/2015- 54 दिनांक 15.01.2016

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।



अपर प्रधान मुख्यमन्त्री संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB 47/15/703

दिनांक -

19-May

अमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101580103	27508	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ से
2	P 19 240601101580103	27510	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ से
3	P 19 240601101580103	27512	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,661,300.00 रुपये सोलह लाख इकसठ हजार तीन से

योगः

3,654,900.00

क्रमिक योगः

रुपये छत्तीस लाख चौपन हजार नौ सौ

(SHRI.Y.K.SINGH JHARKHAND IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27514	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	1,140,700.00
5	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27517	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	122,600.00
6	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27518	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	122,600.00
7	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27519	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	204,400.00
योग:				1,590,300.00
क्रमिक योग:				5,245,200.00
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				

(69)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27520	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	125,800.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ



योगः:

125,800.00

क्रमिक योगः:

रुपये तीरपन लाख इकहत्तर हजार

5,371,000.00

Y.K.Singh
 (SHRI.Y.K.SINGH CHIEF
 ADDI.PCCF, DEV.JHARKHAND
19/5/2016)

अनुलग्नक-3 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण के अंतर्गत वन शीघ्र बढ़ने वाले पौधे का रोपण
पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्त कार्य (दितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हेठो	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 6 चेन ट्रेंच का धेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-		161.16	35714.67	4087.50	39802.17		

अनुलग्नक-3 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण
पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666
पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(B) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्त कार्य (दितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	हेठो	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)			0.00	0.00	2365.00	2365.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)			0.00	0.00	150.00	150.00
योग :-		110.66	24523.36	2515.00	27038.36		

अपर प्रधान मुख्यमंत्री सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची